E-Mail ID cfgarhwal555@Gmail.com
cfgarh-forest-uk@nic.in
Phone/Fax 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः—2896 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अप्रैल, 16 ,2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

Proposal No.FP/UK/Road/11055/2015.

विषयः— जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ममणी—उरोली मोटर मार्ग (लम्बाई 5 किमी0) के निर्माण हेतु लो0नि0वि0 को वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त विषयांकित प्रस्ताव में निम्न कमियां पाई गई हैं।

1. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग—2 में प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर सहित हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
2. परियोजना में कार्य प्रारम्भ न होने तथा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से परियोजना की दूरी के प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
3. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन न होने के प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
4. राष्ट्रीय पार्क अथवा वन्य जीव अभ्यारण्य होने/न होने के प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
5. परियोजना के बारचार्ट में प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
6. राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से परियोजना की दूरी के प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
7. मार्ग में पड़ने वाले बाधक वृक्षों की गणना सूची में 87 वृक्ष अंकित किये गये हैं, जबकि इन वृक्षों का योग 88 आता है तथा वृक्षों के पातन के प्रमाण पत्र (पेज 25) में बांज वृक्षों के अतिरिक्त 68 वृक्ष अंकित किये गये हैं, जबकि योग 69 आता है। इस स्थिति को स्पष्ट किया जाय।
8. मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
9. एन0पी0वी0 धनराशि जमा करने के प्रमाण पत्र में प्रस्तावक विभाग एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
10. क्षतिपूरक स्थल मानचित्र में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

कृपया प्रस्ताव उच्च स्तर को भेजने से पूर्व सभी प्रपत्रों एवं सूचनाओं का भली भांति परीक्षण कर लिया जाय, ताकि उच्च स्तर से किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न हो।

अतः उक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचना प्रस्तुत की जाय।

16/4/15.

(बी0पी0गुप्ता)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,पौड़ी।

Surjeet